

अध्याय-I

विहंगावलोकन

राज्य सरकार के मासिक लेखे जिला कोषालयों, लोक निर्माण विभाग तथा वन संभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किये गये लेखों के आधार पर संकलित एवं समेकित किये जाते हैं। जबकि वित्त एवं विनियोग लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन महालेखाकार द्वारा तैयार किये जाते हैं।

शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग-I	समेकित निधि
भाग-II	आकस्मिकता निधि
भाग-III	लोक लेखा

भाग I: समेकित निधि के मुख्यतः दो प्रभाग होते हैं :

राजस्व प्रभाग (राजस्व लेखा) करों के आगम और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों तथा उसमें से किये गये व्ययों से संबंध रखता है जिसका निवल परिणाम संबंधित वर्ष की राजस्व आधिक्य अथवा कमी को दर्शाता है।

पूंजी प्रभाग में खण्ड 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजी लेखा)' के स्वरूप की ऐसी प्राप्तियों से संबंध रखता है, जिसका पूंजीगत व्यय से प्रतिसंतुलन नहीं किया जा सकता है। खण्ड 'व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)' उस व्यय से संबंध रखता है जो साधारणतः उधार ली गई निधियों से भौतिक और स्थायी प्रकार की ठोस परिसम्पत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें पूंजी के स्वरूप की वे प्राप्तियां भी शामिल होती हैं जिन्हें पूंजीगत व्यय को घटाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है। खण्ड 'लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां आदि' में सरकार द्वारा दिये गये 'कर्जे और पेशगियों' (और उनकी वापसी) सम्मिलित हैं।

भाग II: आकस्मिकता निधि में भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन-देन अभिलिखित किये जाते हैं।

भाग III: लोक लेखे में ऋण (भाग-I में सम्मिलित किये गए ऋण के अलावा) 'जमा', 'पेशगियों', 'प्रेषण' और 'उचंत' से संबंधित लेन-देनों को अभिलिखित किया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखे अभी हाल ही में राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं। वर्ष 2009-10 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

वित्त लेखे

- ◆ वित्त लेखे का संकलन सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखाओं के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं और लेखाओं में दर्ज शेषों के आधार पर परिकलित देयताओं और परिसम्पत्तियों को भी प्रदर्शित करता है। शेषों के आंकड़ों में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी भी आवंटित होने वाले शेष सम्मिलित हैं जिन्हें वित्त लेखे में मोटे अंकों में पृथक से दर्शाया गया है।
- ◆ वर्ष 2009–10 के दौरान, 47641.43 करोड़ ₹ की कुल प्राप्तियों में 41394.70 करोड़ ₹ की राजस्व प्राप्तियां (28349.79 करोड़ ₹ कर राजस्व, 6382.04 करोड़ ₹ करेतर राजस्व तथा 6662.87 करोड़ ₹ सहायता अनुदान तथा अंशदान) और 6246.73 करोड़ ₹ की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- ◆ वर्ष के दौरान संवितरण 47641.43 करोड़ ₹ {35896.90 करोड़ ₹ राजस्व लेखा (75 प्रतिशत) तथा 11744.53 करोड़ ₹ पूंजीगत लेखा (25 प्रतिशत)} था।

विनियोग लेखे

- ◆ विनियोग लेखे राज्य विधान सभा द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय तथा वित्त लेखे के पूरक हैं। इसमें 54 प्रभारित विनियोग तथा 131 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।
- ◆ राज्य विधायिका द्वारा वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम 2009 और 2010 में, 62394.06 करोड़ ₹ के सकल व्यय, जिसमें अनुपूरक अनुदान/विनियोग 8460.90 करोड़ ₹ सम्मिलित है, के लिये प्रावधान किया गया। 1197.91 करोड़ ₹ की राशि व्यय में कमी के रूप में वसूलियों हेतु अनुमानित की गई।
- ◆ वर्ष 2009–10 के विनियोग लेखे 62394.06 करोड़ ₹ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध 50464.18 करोड़ ₹ के सकल संवितरण को प्रदर्शित करते हैं, परिणामतः अनुदान एवं विनियोग के विरुद्ध 11929.88 करोड़ ₹ की बचत परिलक्षित हुई। इसमें से 5965.14 करोड़ ₹ (50 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित (ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण, मांग संख्या-6-वित्त तथा मांग संख्या 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं) अनुदानों के अंतर्गत थीं।
- ◆ वर्ष 2009–10 के दौरान 50464.18 करोड़ ₹ के सकल व्यय में आहरित एवं मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा तथा 800-अन्य जमा में जमा की गई राशि क्रमशः 107.56 करोड़ ₹ तथा 397.94 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।
- ◆ व्यय में कमी के रूप में की गई वसूलियां 428.69 करोड़ ₹ थीं जो कि बजट अनुमानों से 769.22 करोड़ ₹ की कमी को प्रतिबिंबित करती हैं।

अध्याय-II

लेखे की प्रमुखताएं

(करोड़ ₹ में)

सरल क्रमांक		बजट अनुमान 2009-10	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व #	27122.86	28349.79	104.52	14.58
2.	करेतर राजस्व	3936.54	6382.04	162.12	3.28
3.	सहायता अनुदान तथा अंशदान	8901.63	6662.87	74.85	3.43
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	39961.03	41394.70	103.59	21.29
5.	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	47.36	23.37	49.35	0.01
6.	अन्य प्राप्तियां	..	@24.45	..	0.01
7.	उधार और अन्य दायित्व (का)	6436.41	6198.91	96.31	3.19
8.	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	6483.77	6246.73	96.34	3.21
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	46444.80	47641.43	102.58	24.50
10.	आयोजनेतर व्यय (एन पी ई) (खा)	27416.77	29892.68	109.03	15.37
11.	राजस्व लेखे का आयोजनेतर व्यय	26976.35	26059.22	96.60	13.40
12.	11 में सम्मिलित ब्याज अदायगी पर आयोजनेतर व्यय	4965.39	4454.30	89.71	2.29
13.	पूँजीगत लेखा का आयोजनेतर व्यय	440.42	3833.46	870.41	1.97
14.	योजना व्यय (पी.ई.) (गा)	19028.03	17748.75	93.28	9.13
15.	राजस्व लेखे का योजना व्यय	11285.77	9837.68	87.17	5.06
16.	पूँजीगत लेखे का योजना व्यय	7742.26	7911.07	102.18	4.07
17.	कुल व्यय (10+14)	46444.80	47641.43	102.58	24.50
18.	राजस्व लेखे का व्यय (11+15)	38262.12	35896.90	93.82	18.46
19.	पूँजीगत लेखे पर व्यय (13+16) (घा)	8182.68	11744.53	143.53	6.04
20.	राजस्व आधिक्य (18-4)	1698.91	(झ)5497.80	323.61	2.83
21.	राजकोषीय घाटा {17-(4+5+6) = 7}	6436.41	6198.91	96.31	3.19

सकल राज्य घरेलू उत्पाद 194427.26 करोड़ ₹ (A)

(A) = अग्रिम अनुमान



- # संघ कर तथा शुल्क का अंश सम्मिलित है।
- (का) वास्तविक उधार और अन्य दायित्व के अंतर्गत निवल लोक ऋण (6208.46 करोड़ ₹), निवल आकस्मिकता निधि (निरंक), निवल लोक लेखा {(-) 1212.35 करोड़ ₹} तथा निवल प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष 1202.80 करोड़ ₹) सम्मिलित हैं।
- (खा) वास्तविक आयोजनेतर व्यय में राजस्व व्यय (26059.22 करोड़ ₹), पूँजीगत व्यय (61.05 करोड़ ₹) तथा संवितरित ऋण, अग्रिम (3769.63 करोड़ ₹), अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2.78 करोड़) सम्मिलित है।
- (गा) वास्तविक योजना व्यय में राजस्व व्यय (9837.68 करोड़ ₹), पूँजीगत व्यय (7863.82 करोड़ ₹), तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम (47.25 करोड़ ₹) सम्मिलित हैं।
- (घा) वास्तविक पूँजीगत लेखे में पूँजीगत व्यय (7924.87 करोड़ ₹), संवितरित ऋण तथा अग्रिम (3816.88 करोड़ ₹), अंतर्राज्यीय परिशोधन (2.78 करोड़ ₹) सम्मिलित हैं।
- (झ) वास्तविक राजस्व आधिक्य ₹ 5497.80 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार के बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त एवं मुख्यशीर्ष 0075-विभिन्न सामान्य सेवाएं-800-अन्य प्राप्तियों में जमा किए गए 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।
- @ सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूँजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूँजीगत प्राप्तियां (21.69 करोड़ ₹) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (2.76 करोड़ ₹) सम्मिलित हैं।

प्राप्तियां तथा संवितरण

वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां 47641.43 करोड़ ₹ थीं जिसके विरुद्ध कुल संवितरण 47641.43 करोड़ ₹ था।

वर्ष 2009-10 के लेखों को निम्नलिखित तालिका में संक्षेपीकृत किया गया है:-

कुल प्राप्तियां	47641.43	कुल संवितरण	47641.43
राजस्व प्राप्तियां	41394.70 (87 प्रतिशत)	राजस्व संवितरण	35896.90 (75 प्रतिशत)
पूंजीगत प्राप्तियां	6246.73 (13 प्रतिशत)	पूंजीगत संवितरण	11744.53 (25 प्रतिशत)



प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां

सकल कर राजस्व 28349.79 करोड़ ₹ तथा करेतर राजस्व 6382.04 करोड़ ₹ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 14.58 प्रतिशत तथा 3.28 प्रतिशत था। राजस्व में मुख्य अंशदान 7723.82 करोड़ ₹ विक्रय कर, व्यापार आदि पर कर से था (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.97 प्रतिशत)।

बजट अनुमान की तुलना में वर्ष के दौरान निवल कर प्राप्तियां मुख्यतः विद्युत कर तथा शुल्क (1146.49 करोड़ ₹) के कारण 1226.93 करोड़ ₹ अधिक थीं।


कुल प्राप्तियों में विभिन्न करों का संबंधित अंश, करेतर राजस्व तथा सहायता अनुदान तथा अंशदान नीचे दिया जा रहा है:-

राजस्व प्राप्तियां तथा सहायता अनुदान तथा अंशदान

घटक	वास्तविक राशि	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता
क. कर राजस्व	*28349.79	68.49
आय और व्यय पर कर	7314.15	17.67
पूंजीगत लेन-देनों तथा संपत्ति पर कर	1973.61	4.77
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	19062.03	46.05
ख. करेतर राजस्व	6382.04	15.42
राजकोषीय सेवाएं	टोकन	..
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	1333.78	3.22
सामान्य सेवाएं	597.73	1.45
सामाजिक सेवाएं	849.23	2.05
आर्थिक सेवाएं	3601.30	8.70
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	6662.87	16.09
योग-राजस्व प्राप्तियां	41394.70	100.00

(* भारत सरकार से प्राप्त संघीय करों में राज्य का अंश 11076.98 करोड़ ₹ था, जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 26.76 प्रतिशत है।)

राजस्व प्राप्तियों की रचना दर्शाने वाला पाई चार्ट:-



पूँजीगत प्राप्तियाँ

बजट अनुमानों की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में कुल 237.04 करोड़ ₹ की कमी थी। कमी मुख्यतः उधार और अन्य दायित्व की प्राप्तियों के अंतर्गत थी।

संवितरण

राजस्व संवितरण

राजस्व संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18.46 प्रतिशत था। यह बजट अनुमानों से कुल 2365.22 करोड़ ₹ कम था। (917.13 करोड़ ₹ योजनेत्तर एवं 1448.09 करोड़ ₹ योजनागत के अंतर्गत कम)।

पूँजीगत संवितरण

पूँजीगत संवितरण (ऋण तथा अग्रिम एवं अंतर्राज्यीय परिशोधन) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.04 प्रतिशत था। यह आयोजनेत्तर (3393.04 करोड़ ₹) तथा योजनागत (168.81 करोड़ ₹) के अंतर्गत अधिक संवितरण के कारण बजट अनुमानों से 3561.85 करोड़ ₹ अधिक था।


योजनागत संवितरण

वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य योजनांतर्गत 12892.10 करोड़ ₹, केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 3875.89 करोड़ ₹ तथा अन्य केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के अंतर्गत 980.76 करोड़ ₹ को सम्मिलित कर योजनागत संवितरण 17748.75 करोड़ ₹ था।

योजनेत्तर संवितरण

राजस्व लेखे के अंतर्गत 26059.22 करोड़ ₹ तथा पूँजीगत लेखे के अंतर्गत 3833.46 करोड़ ₹ (पूँजीगत व्यय 61.05 करोड़ ₹, ऋण तथा अग्रिम 3769.63 करोड़ ₹, अंतर्राज्यीय परिशोधन 2.78 करोड़ ₹) से गठित 2009-10 के दौरान योजनेत्तर संवितरण 29892.68 करोड़ ₹ था।

राजस्व तथा पूँजीगत लेखा पर योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय के अंतर्गत कुल संवितरण की रचना




व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण तथा इसकी कुल राजस्व व्यय के साथ प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण तथा इसकी कुल राजस्व व्यय के साथ प्रतिशतता

(करोड़ ₹ में)

घटक	राशि	कुल राजस्व व्यय के साथ प्रतिशतता
क-राजकोषीय सेवाएं	1602.02	4.46
(i) आय और व्ययों पर करों का संग्रहण	0.43	..
(ii) संपत्ति और पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	556.34	1.55
(iii) सेवाओं और वस्तुओं पर करों का संग्रहण	1043.03	2.90
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2.22	0.01
ख-राज्य के अंग	368.61	1.03
ग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4454.30	12.41
घ-प्रशासकीय सेवाएं	2510.51	6.99
ङ-पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	3078.34	8.58
च-सामाजिक सेवाएं	12961.85	36.11
छ-आर्थिक सेवाएं	8371.37	23.32
ज-सहायता अनुदान तथा अंशदान	2549.90	7.10
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	35896.90	100.00

राजस्व व्यय के अंतर्गत मुख्य भागों को प्रदर्शित करने वाला पाई चार्ट :-



व्यय का प्रवाह

कुछ प्रमुख क्षेत्रों में 2005-06 और 2009-10 के मध्य (5 वर्षों हेतु) व्यय की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई जा रही है:-

चयनित क्षेत्रों में राजस्व व्यय का विवरण

(करोड़ ₹ में)

सेक्टर	2005-06	बजट अनुमान पुनःरीक्षित अनुमान की प्रतिशतता	2006-07	बजट अनुमान पुनःरीक्षित अनुमान की प्रतिशतता	2007-08	बजट अनुमान पुनःरीक्षित अनुमान की प्रतिशतता	2008-09	बजट अनुमान पुनःरीक्षित अनुमान की प्रतिशतता	2009-10	बजट अनुमान पुनःरीक्षित अनुमान की प्रतिशतता
ख-सामाजिक सेवाएं										
(i) शिक्षा, खेलकूद, तथा संस्कृति	2905.76	102.68 100.91	3674.04	103.90 102.59	3767.84	92.05 92.64	4894.65	96.39 89.22	6267.76	100.51 95.42
(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	924.75	93.25 93.10	1010.11	96.17 93.51	1138.61	96.89 97.64	1308.15	90.58 91.77	1582.99	99.25 105.55
ग-आर्थिक सेवाएं										
(i) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	1285.22	95.50 88.82	1638.43	100.04 90.85	1944.89	110.87 94.36	2571.36	98.43 93.76	2869.16	89.50 82.76
(ii) ग्रामीण विकास	1118.35	153.84 91.90	1570.23	107.31 92.92	2137.16	105.84 100.07	1975.79	82.94 81.07	2266.57	85.41 85.95
(iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	327.21	126.49 119.87	340.51	122.22 119.54	394.14	129.29 120.41	428.30	127.38 130.19	507.51	133.53 120.72
(iv) ऊर्जा	1983.47	87.69 100.22	682.44	104.61 99.14	1084.17	146.74 99.49	1443.49	77.49 93.22	1688.78	114.57 102.87
(v) परिवहन	298.10	206.81 102.19	438.14	102.01 99.92	609.07	125.84 108.96	608.71	99.04 97.26	554.30	99.50 97.69
(vi) सामान्य आर्थिक सेवाएं	35.23	80.47 89.92	43.08	103.88 85.41	48.75	89.66 86.02	63.14	87.91 93.67	88.01	95.65 90.32

ऋण तथा देयताएं

वर्ष 2009-10 के अंत तक आंतरिक ऋण 42461.81 करोड़ ₹ तथा केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम 10378.95 करोड़ ₹ मिलाकर लोक ऋण 52840.76 करोड़ ₹ शेष था। लोक लेखे के अंतर्गत लेखांकित अन्य बिना ब्याज वाली देयताएं 6320.37 करोड़ ₹ थी।

जमा शीर्षों के तदनु रूप ही अल्प बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमाओं के संदर्भ में राज्य भी एक बैंकर तथा न्यासी के रूप में कार्य करता है। 2009-10 के दौरान राज्य सरकार की ऐसी देयताओं के संदर्भ में कुल वृद्धि 411.50 करोड़ ₹ थी।

ऋण एवं अन्य देयताओं पर ब्याज अदायगी कुल 4454.30 करोड़ ₹ राजस्व व्यय 35896.90 करोड़ ₹ का 12.41 प्रतिशत थी। लोक ऋणों पर ब्याज की अदायगी 3904.84 करोड़ ₹ - (आंतरिक ऋण 3201.89 करोड़ ₹, केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम 702.95 करोड़ ₹), अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां : 549.46 करोड़ ₹ और अन्य दायित्वों पर निरंक करोड़ ₹ थी। 2009-10 के दौरान ब्याज की अदायगी पर किये गए व्यय में गत वर्ष 2008-09 की तुलना में 262.31 करोड़ ₹ की वृद्धि हुई।

2009-10 के दौरान 7257.97 करोड़ ₹ के उत्थापित आंतरिक ऋण में से 1937.80 करोड़ ₹ का उपयोग ऋण दायित्वों के विमोचन के लिए हुआ।

निवेश तथा वापसियां

2009-10 के अंत तक सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (PSUs) में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश 11686.28 करोड़ ₹ था। वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त लाभांश 49.75 करोड़ ₹ (0.43 प्रतिशत) था। 2009-10 के दौरान, जबकि निवेश में 2042.93 करोड़ ₹ की अभिवृद्धि हुई, तदनु रूप लाभांश आय में 19.30 करोड़ ₹ की कमी हुई।

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

2009-10 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा 11423.66 करोड़ ₹ के ऋण तथा अग्रिम दिये गए। मार्च 2010 के अंत तक बकाया वसूलियों के विवरण (मूलधन तथा ब्याज) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

वर्ष 2009-10 के अंत तक राज्य सरकार के निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों आदि को दिया गया कुल ऋण तथा अग्रिम 9805.08 करोड़ ₹ था।

स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों को 2009-10 के दौरान 1393.88 करोड़ ₹ की वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष के दौरान कुल सहायता का वृहद भाग सहायता के रूप में विद्युत बोर्ड द्वारा 100.57 करोड़ ₹ (7.22 प्रतिशत) तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा 1091.48 करोड़ ₹ (78.31 प्रतिशत) उपभोग किया गया।

विनियोग लेखे

वर्ष 2009-10 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 में सकल वास्तविक व्यय 50464.18 करोड़ ₹ दर्शित है, जिसमें राजस्व व्यय 36108.51 करोड़ ₹, पूंजीगत व्यय 8131.96 करोड़ ₹, ऋणों के पुनर्भुगतान 2394.05 करोड़ ₹ तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम 3829.66 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं। व्यय की राशि में आहरित एवं मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा-106 व्यक्तिगत जमा तथा 800-अन्य जमा में जमा की गई क्रमशः 107.56 करोड़ ₹ एवं 397.94 करोड़ ₹ की राशि सम्मिलित है। राजस्व/पूंजीगत/लोक ऋण/ऋण तथा अग्रिम अनुभागों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा आवंटित की गई कुल अनुदानों/विनियोगों के संदर्भ में यथास्थिति अनुसार बचत निम्नानुसार है:-

विनियोग लेखे का सार 2009-10

(करोड़ ₹ में)

स. क्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान /विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	33575.66 5468.27	2914.83 16.42	36490.49 5484.69	31315.76 4792.75	-5174.73 -691.94
2.	पूंजीगत दत्तमत प्रभारित	7168.48 30.77	2649.36 ..	9817.84 30.77	8101.94 30.02	-1715.90 0.75
3.	लोक ऋण प्रभारित	6290.46	..	6290.46	2394.05	-3896.41
4.	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	1399.52	2880.29	4279.81	(खा) 3829.66	-450.15
	योग	53933.16	8460.90	62394.06	50464.18	(का)-11929.88

(का) इसमें 5965.14 करोड़ ₹ (50 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों के अंतर्गत थे।

(खा) इसमें अंतर्राज्यीय परिशोधन 2.78 करोड़ ₹ सम्मिलित है।

गत पांच वर्षों के दौरान कुछ चयनित अनुदानों में अनवरत बचत के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:-

चयनित अनुदानों में अनवरत बचत

राजस्व-दत्तमत अनुभाग

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)

1-सामान्य प्रशासन

2005-06	99.45	23.52	23.65
2006-07	97.09	12.98	13.37
2007-08	111.76	18.81	16.83
2008-09	128.30	21.56	16.80
2009-10	182.20	24.62	13.51

4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

2005-06	10.77	1.33	12.35
2006-07	28.03	3.20	11.42
2007-08	11.37	1.41	12.40
2008-09	15.26	3.18	20.84
2009-10	15.19	3.31	21.79

6-वित्त

2005-06	1886.78	172.92	9.16
2006-07	2262.74	366.18	16.18
2007-08	2755.44	611.64	22.20
2008-09	3116.31	624.61	20.04
2009-10	4579.03	1434.33	31.32

13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास

2005-06	342.20	111.77	32.66
2006-07	285.91	51.27	17.93
2007-08	487.94	90.65	18.58
2008-09	689.18	233.59	33.89
2009-10	660.91	149.10	22.56

22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय

2005-06	13.06	4.04	30.93
2006-07	20.85	10.95	52.52
2007-08	23.72	9.45	39.84
2008-09	64.93	36.76	56.61
2009-10	61.70	24.83	40.24

29-विधि और विधायी कार्य

2005-06	189.60	63.50	33.49
2006-07	209.76	60.00	28.60
2007-08	219.45	57.64	26.27
2008-09	302.54	68.50	22.64
2009-10	346.78	54.45	15.70

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)

48—नर्मदा घाटी विकास

2005-06	540.67	538.57	99.61
2006-07	25.32	19.86	78.44
2007-08	24.07	8.05	33.44
2008-09	26.32	5.20	19.76
2009-10	31.47	10.90	34.64

55—महिला एवं बाल विकास

2005-06	370.52	140.50	37.92
2006-07	481.50	181.88	37.77
2007-08	539.37	82.15	15.23
2008-09	699.01	112.69	16.12
2009-10	1162.96	210.24	18.08

64—अनुसूचित जाति उपयोजना

2005-06	509.94	135.30	26.53
2006-07	548.84	95.63	17.42
2007-08	715.88	141.17	19.72
2008-09	823.03	165.51	20.11
2009-10	1089.51	234.83	21.55

72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

2005-06	25.77	3.10	12.03
2006-07	34.14	10.83	31.72
2007-08	35.93	6.76	18.81
2008-09	42.55	7.96	18.71
2009-10	43.59	4.76	10.92

पूँजीगत दत्तमत अनुभाग**1—सामान्य प्रशासन**

2005-06	6.10	6.10	100
2006-07	7.55	7.55	100
2007-08	9.35	7.25	77.59
2008-09	14.10	5.62	39.88
2009-10	9.60	5.02	52.29

3—पुलिस

2005-06	113.40	72.81	64.21
2006-07	82.49	68.35	82.86
2007-08	31.27	27.73	88.67
2008-09	51.70	6.30	12.18
2009-10	37.10	4.05	10.92

(करोड़ ₹ में)

वर्ष (1)	कुल प्रावधान (2)	बचत (3)	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता (4)
-------------	---------------------	------------	--

23—जल संसाधन विभाग

2005-06	507.34	106.45	20.98
2006-07	479.51	73.90	15.41
2007-08	686.57	56.57	8.24
2008-09	682.81	63.00	9.23
2009-10	650.84	237.57	36.50

40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट

2005-06	11.20	4.50	40.18
2006-07	16.68	8.72	52.28
2007-08	15.48	6.05	39.08
2008-09	15.90	4.43	27.86
2009-10	17.49	3.75	21.44

41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

2005-06	666.97	192.30	28.83
2006-07	692.72	106.38	15.36
2007-08	1036.54	113.35	10.94
2008-09	1007.44	103.69	10.29
2009-10	1483.35	535.00	36.07

45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

2005-06	79.24	24.14	30.46
2006-07	104.99	36.86	35.11
2007-08	515.50	147.31	28.58
2008-09	342.73	60.41	17.63
2009-10	545.27	161.67	29.65

57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2005-06	170.23	49.70	29.20
2006-07	183.59	93.04	50.68
2007-08	319.33	172.85	54.13
2008-09	350.24	111.18	31.74
2009-10	350.60	89.69	25.58

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	बचत की कुल प्रावधान से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)

58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

2005-06	16.30	16.30	100
2006-07	16.30	16.30	100
2007-08	4.30	4.30	100
2008-09	2.50	2.50	100
2009-10	4.20	2.70	64.29

64—अनुसूचित जाति उपयोजना

2005-06	310.74	80.75	25.99
2006-07	585.56	100.58	17.18
2007-08	870.42	96.85	11.13
2008-09	892.00	110.67	12.41
2009-10	918.11	106.09	11.56

67—लोक निर्माण कार्य—भवन

2005-06	79.20	35.38	44.67
2006-07	79.69	46.67	58.56
2007-08	77.12	38.80	50.31
2008-09	88.57	20.67	23.34
2009-10	78.10	11.41	14.61

72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

2005-06	5.51	3.34	60.62
2006-07	6.14	3.68	59.93
2007-08	6.69	1.41	21.08
2008-09	4.94	2.67	54.05
2009-10	4.91	2.71	55.19

व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है (मध्य प्रदेश बजट मैनुअल का पैरा 92)। फिर भी यह ध्यान में आया है कि सात प्रकरणों में मार्च 2010 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 45 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(करोड़ ₹ में)

स. क्र.	अनुदान का विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	मार्च में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में किये गये व्यय की प्रतिशतता
1.	12-ऊर्जा	7201.23	6896.12	4119.21	59.73
2.	17-सहकारिता	120.26	117.25	57.08	48.68
3.	37-पर्यटन	69.84	69.78	34.92	50.04
4.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	613.57	545.28	256.61	47.06
5.	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	12.50	10.46	5.13	49.04
6.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	402.74	345.21	317.70	92.03
7.	60-जिला परियोजना से संबंधित व्यय	172.30	163.31	80.06	49.02

लेखों का पुनर्मिलान

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा लेखा के आंकड़ों के मिलान पर ही निर्भर है।

नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार की पुस्तकों में संकलित आंकड़ों से वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व मिलान कर लेना चाहिए। आंकड़ों का मिलान प्रायः मासिक रूप से किया जाना चाहिए। वर्ष 2009-10 के दौरान नीचे दर्शाये गये विवरण अनुसार 14 विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ₹ 3039.76 करोड़ व्यय राशि का मिलान नहीं किया गया।

नियंत्रण अधिकारी जिनके द्वारा पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया :

मुख्य शीर्ष	जिन नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया उनके पदनाम	मांग संख्या	अवधि जिसका पुनर्मिलान कार्य नहीं किया गया	कुल राशि (करोड़ ₹ में)
2235	आयुक्त, पुनर्वास, भोपाल	02, 29, 35	02/10 और 03/10	10.86
3604	आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल	75	04/09 से 03/10	2187.58
2055	संचालक, लोक अभियोजन, भोपाल	03	01/10 से 03/10	357.36
2250	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल	02, 51	03/10	0.11
2236	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल	41, 52, 53, 55, 64, 68	03/10	45.84
2501	सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, भोपाल	15, 30, 41, 52, 59, 64, 80	02/10 और 03/10	23.60
6075	सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल	06	04/09 से 03/10	44.72
2810	सचिव, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग	12	04/09 से 03/10	4.14
2852	सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, भोपाल	11	04/09 से 03/10	76.37
2045	सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल	12	01/10 से 03/10	39.77
2052	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल	29, 08, 06	01/10 से 03/10	58.52
2230	सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार, भोपाल	11, 18	01/10 से 03/10	72.37
2402	नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल	48	01/10 से 03/10	1.23
2406	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल	10, 41, 64	01/10 से 03/10	117.29
			योग	3039.76

कोषालयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण :

वर्ष 2009-10 के दौरान 636 मासिक लेखों में से 148 लेखे नियत तिथियों के उपरांत प्राप्त हुए, यद्यपि यह लेखे संबंधित माह के मासिक सिविल लेखों में सम्मिलित किये गए। कोषालयों द्वारा नियत समय पर लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाय। विवरण निम्नानुसार है :

माह	देय लेखों की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखों की संख्या	नियत तिथि के उपरांत प्राप्त हुए लेखों की संख्या	सम्मिलित लेखों की संख्या	सम्मिलित न किये गए लेखों की संख्या
04/2009	53	43	10	53	-
05/2009	53	45	08	53	-
06/2009	53	43	10	53	-
07/2009	53	35	18	53	-
08/2009	53	48	05	53	-
09/2009	53	42	11	53	-
10/2009	53	30	23	53	-
11/2009	53	43	10	53	-
12/2009	53	43	10	53	-
01/2010	53	43	10	53	-
02/2010	53	43	10	53	-
03/2010	53	30	23	53	-
योग	636	488	148	636	-

अध्याय—III

शासकीय राजस्व और व्यय का प्रवाह

2005-06 से 2009-10 तक (5 वर्षों की अवधि) शासकीय राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का प्रवाह नीचे दिया गया है :-

राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	करेत्तर राजस्व	सहायता अनुदान और अंशदान	सकल राजस्व प्राप्तियां	* सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सकल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2005-06	15456.05	2208.20	2932.54	20596.79	109055.00 (A)	18.89
2006-07	18561.67	# 2658.46	4474.15	25694.28	130628.93 (A)	19.67
2007-08	22221.14	@ 2738.18	5729.41	30688.73	142203.96 (A)	21.58
2008-09	24380.64	@ 3342.86	5853.71	33577.21	162525.22(A)	20.66
2009-10	28349.79	@ 6382.04	6662.87	41394.70	194427.26(A)	21.29

इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को 2005-06 तथा 2006-07 के लिये ऋण समेकिकीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त ऋण राहत 726.12 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

@ इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकिकीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त ऋण राहत 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित है।

राजस्व व्यय

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	राजस्व व्यय (वास्तविक)	कुल व्यय	* सकल राज्य घरेलू उत्पाद	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि			सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल व्यय की प्रतिशतता
				राजस्व व्यय	कुल व्यय	सकल घरेलू उत्पाद	
2005-06	(*) 20563.47	(ग) 28021.20	109055.00(A)	14.07	6.59	1.05	25.69
2006-07	22362.61	28546.95	130628.93(A)	8.75	1.88	19.78	21.85
2007-08	25601.11	33590.74	142203.96(A)	14.48	17.67	8.86	23.62
2008-09	29513.88	38089.23	162525.22(A)	15.28	13.39	14.29	23.44
2009-10	35896.90	47641.43	194427.26(A)	21.63	25.08	19.63	24.50

* साधन लागत पर राज्य की भौगोलिक सीमा में उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) परिभाषित किया गया है, जो या तो इसे उपभोग के लिये और/अथवा धन की वृद्धि के लिये उपलब्ध हो।

(*) निवेश का आर.ई.सी.को अनुदान में परिवर्तन के 814.78 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

(ग) एम.पी.ई.बी.की उत्तरवर्ती कंपनियों में 2749.36 करोड़ ₹ का निवेश तथा 814.78 करोड़ ₹ का आर.ई.सी.को अनुदान में परिवर्तन सम्मिलित है।

(A) = अग्रिम अनुमान

2005-06 से 2009-10 (5 वर्षों) के दौरान सरकार के कुल व्यय में 19620.23 करोड़ ₹ (47641.43 करोड़ ₹ - 28021.20 करोड़ ₹) की व्यापक वृद्धि हुई। राजस्व व्यय के मुख्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गई है :-

(करोड़ ₹ में)

व्यय के क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	गतवर्ष पर 2009-10 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3421.79	4028.95	4190.77	4191.99	4454.30	6.26
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	1663.82	1861.94	2064.91	2433.90	3078.34	26.48
वेतन	5659.16	5962.69	6533.63	8077.17	10173.12	25.95
प्रशासनिक सेवाएं	1436.26	1546.24	1756.80	2045.30	2510.51	22.75
कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	1285.22	1638.43	1944.89	2571.36	2869.15	11.58
ग्रामीण विकास	1118.35	1570.23	2137.16	1975.79	2266.57	14.72
ऊर्जा	1983.47	682.44	1084.17	1443.49	1688.78	16.99
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	40.32	7.50	42.53	50.64	45.60	-9.95

वर्ष 2009-10 के दौरान, ब्याज अदायगियों तथा पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं तथा वेतन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.77 प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 9.11 प्रतिशत है।

सरकारी लेखा

वर्ष के लिये कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) को वर्ष की कुल प्राप्तियों (राजस्व और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों) के विरुद्ध निवल कर तथा उनके आधिक्य/घाटे को पृथक खाता में अन्तरण को 'शासकीय लेखा' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, पूर्वावधि समायोजनों, विविध शासकीय लेखों आदि के निवल प्रभाव भी 'शासकीय लेखा' खाता में अंतरित किये जाते हैं। इस प्रकार, 'शासकीय लेखा' खाता शासन के कार्यों का संचयी आधिक्य/घाटे को प्रदर्शित करता है। विगत पांच वर्षों के लिए 'शासकीय लेखा' खाते का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	राजस्व शीर्ष			पूंजीगत शीर्ष			अन्य शीर्ष #	वर्ष के लिये घाटा	वर्ष के अंत में संचयी घाटा (-)/आधिक्य (+)
	प्राप्तियां	संवितरण	घाटा	प्राप्तियां	संवितरण	घाटा			
2005-06	20596.79	(ख) 20563.47	(ग) +33.32	-	(घ) 6623.28	-6623.28	-35.16	-6625.12	-44602.25
2006-07	25694.28	22362.61	@ +3331.67	9.19	5169.94	-5160.75	..	-1829.08	-46431.33
2007-08	30688.73	25601.11	(फ) + 5087.62	11.07	6832.70	-6821.63	-33.81	-1767.82	-48199.15
2008-09	33577.21	29513.88	(र) + 4063.33	24.00	6713.15	-6689.15	-3.18	-2629.00	-50828.15
2009-10	41394.70	35896.90	(ल) + 5497.80	21.69	7924.87	-7903.18	-3.97	-2409.35	-53237.50

विविध सरकारी लेखा।

(ख) आर.ई.सी.में निवेश को अनुदान में परिवर्तन के 814.78 करोड़ ₹ सम्मिलित है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में निवेश को अनुदान में परिवर्तन करने के कारण राजस्व आधिक्य को 814.78 करोड़ ₹ से कम आंका गया।

(घ) एम.पी.ई.बी.की उत्तरवर्ती कंपनियों में 2749.36 करोड़ ₹ का निवेश तथा 814.78 करोड़ ₹ के निवेश का आर.ई.सी.को अनुदान में परिवर्तन सम्मिलित है।

@ राजस्व आधिक्य ₹ 3331.67 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त 726.12 करोड़ ₹ सम्मिलित है।

(फ) राजस्व आधिक्य ₹ 5087.62 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

(र) राजस्व आधिक्य ₹ 4063.33 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

(ल) राजस्व आधिक्य ₹ 5497.80 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित हैं।

देयताएं

राज्य शासन की देनदारियां 18916.88 करोड़ ₹ से बढ़कर 2005-06 में 48694.87 करोड़ ₹ से 2009-10 के दौरान 67611.75 करोड़ ₹ हो गई। कुल लोक ऋण, जिसमें राज्य शासन का आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाविष्ट है, 15365.81 करोड़ ₹ से बढ़कर 2005-06 में 37474.95 करोड़ ₹ से चालू वर्ष के अंत तक 52840.76 करोड़ ₹ हो गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय-समय पर राज्य विधान-मंडल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है। राज्य विधान मंडल द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य सरकार की कुल देनदारियों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	कुल लोक ऋण	अल्प बचतें	भविष्य निधियां	अन्य दायित्व	कुल देयताएँ*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल देयताओं का %
2005-06	28483.94	8991.01	37474.95	1228.69	6260.71	3730.52	48694.87	109055.00(A)	44.65
2006-07	31666.69	8679.70	40346.39	1329.05	6314.95	4812.32	52802.71	130628.93(A)	40.42
2007-08	33258.49	8781.85	42040.34	1415.71	6420.77	4950.67	54827.49	142203.96(A)	38.56
2008-09	37141.63	9490.67	46632.30	1405.97	6634.23	5357.90	60030.40	162525.22(A)	36.94
2009-10	42461.81	10378.95	52840.76	1389.45	7061.17	6320.37	67611.75	194427.26(A)	34.77

* अल्प बचतें, भविष्य निधियां, बिना ब्याज युक्त दायित्व जैसे कि स्थानीय निधियों में जमा, अन्य पृथक-रक्षित निधियां, इत्यादि।

(A) = अग्रिम अनुमान

राज्य भविष्य निधि

राज्य भविष्य निधि से लेन-देनों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	भुगतान	वर्ष के लिये निवल अभिवृद्धि	अंत शेष	भविष्य निधि के शेष पर भारित ब्याज
2005-06	@ 6343.85	1131.53	1214.67	-83.14	6260.71	370.60
2006-07	# 6257.43	1199.10	1141.58	57.52	6314.95	494.82
2007-08	(*) 6314.17	1224.34	1117.74	106.60	6420.77	533.44
2008-09	6420.77	1264.61	1051.15	213.46	6634.23	537.52
2009-10	(x) 6633.15	1390.43	962.41	428.02	7061.17	549.46

@ 2004-05 के अंतशेष से 13.26 करोड़ ₹ की भिन्नता उत्तरवर्ती राज्य को शेषों के आवंटन होने के कारण है।

2005-06 के अंतशेष से 3.28 करोड़ ₹ की भिन्नता उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य को शेषों के आवंटन होने के कारण है।

(*) 2006-07 के अंतशेष से 0.78 करोड़ ₹ की भिन्नता उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य को शेषों के आवंटन होने के कारण है।

(x) 2008-09 के अंतशेष से 1.08 करोड़ ₹ की भिन्नता छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण के कारण है।

प्रत्याभूति

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

(करोड़ ₹ में)

वर्ष के अंत में	गारंटीकृत राशि (केवल मूलधन)	बकाया राशि *	
		मूलधन	ब्याज
2005-06	12636.81	521.84	91.54
2006-07	12424.26	783.66	82.15
2007-08	12086.00	758.58	97.16
2008-09	11991.33	1910.46	19.63
2009-10	11823.20	1506.83	122.76

* उपलब्ध सूचना की सीमा तक।

अर्थोपाय पेशगियां

राज्य सरकार, अपनी तरलता स्थिति बनाये रखने एवं संवरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम लेती है तथा तत्पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने लेखे में अनुबंधित न्यूनतम नगद शेष में जब कभी कमी हो, सीमा तक अधिविकर्षण आहरित करती है। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1.96 करोड़ ₹ का न्यूनतम नगद शेष रखना आवश्यक है। इन अर्थोपाय पेशगियों की राशि की प्रचुरता तथा आहरणों या लिये जाने की अवधियों की महत्तम संख्या, राज्य सरकार के नगद शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रदर्शित करता है।

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
(i) दिनों की संख्या जिनमें न्यूनतम शेष अनुरक्षित रखा गया	365	365	366	365	365
(क) कोई अग्रिम प्राप्त किये बिना	365	365	366	363	365
(ख) अर्थोपाय पेशगियां प्राप्त करके	2	..
(ii) दिवसों की संख्या जिनमें अधिविकर्षण नहीं लिया गया यद्यपि न्यूनतम अवशेष में कमी थी
(iii) दिवसों की संख्या जिनमें अधिविकर्षण लिया गया

आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि आकस्मिकताओं को परिपूर्ण करने हेतु बनाई गई है। निम्नलिखित विवरण वर्ष के दौरान इस निधि के उपयोग की सीमा दर्शाता है :-

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
आकस्मिकता निधि से आहरणों की संख्या	23	11	13	9	17
आकस्मिकता निधि से कुल आहरण (करोड़ ₹ में)	14.14	31.15	144.03	18.12	135.07
कुल बजट प्रावधान का आकस्मिकता निधि से आहरणों की प्रतिशतता	0.04	0.09	0.40	0.04	0.26
बजट प्रावधान (समेकित निधि) (करोड़ ₹ में)	34872.22	34592.54	36375.72	43278.91	52735.25

नोट :- वर्ष 2005-06 के दौरान आकस्मिकता निधि का निकाय 40 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान 100 करोड़ ₹ था।

सामान्य नगद शेष

राज्य शासकीय लेखे में प्रतिबिम्बित 2043.74 करोड़ ₹ (जमा) के सामान्य नगद शेष के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अंतिम नगद शेष 1995.25 करोड़ ₹ (नामे) था। 48.49 करोड़ ₹ (जमा) का अंतर समाधानाधीन था तथा मार्गस्थ प्रेषण 2.67 करोड़ ₹ था।

31 मार्च 2010 को * नगद शेष निवेश लेखा में 5559.72 करोड़ ₹ का निवेश था।

31 मार्च 2010 को विभागीय अधिकारियों के पास नगद (13.54 करोड़ ₹), विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी पेशगियां (0.79 करोड़ ₹) और पृथकरक्षित निधियों में निवेश (379.95 करोड़ ₹) से मिलकर बनने वाला अन्य नगद शेष और निवेश 394.28 करोड़ ₹ था।

* राज्य सरकार द्वारा 'अल्प कालीन कर्जों (भारत सरकार के खजाना बिल) तथा भारत सरकार की अन्य प्रतिभूतियों' में निवेश प्रदर्शित करता है।

मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2009-10 का नगद शेष वर्ष के प्रारंभ में (-) 838.27 करोड़ ₹ से घटकर वर्ष के अंत तक (-) 2041.07 करोड़ ₹ हो गया। निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोगों के विवरण निम्नानुसार है:-
(करोड़ ₹ में)

स्रोत			अनुप्रयोग				
क्र.सं.	मदें	राशि	क्र.सं.	मदें	राशि		
1.	प्रारंभिक नगद शेष	(-) 838.27	1.	राजस्व व्यय	योजनेतर 26059.22	योजनागत 9837.68	योग 35896.90
2.	संघ करों में राज्यों का अंश	11076.98	2.	पूँजीगत व्यय	योजनेतर 61.05	योजनागत 7863.82	योग 7924.87
3.	राज्यों का स्वयं का राजस्व संग्रहण	23654.85	3.	ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	केन्द्र सरकार को 456.26	अन्य को —	योग (*) 456.26
4.	भारत सरकार से ऋणों के अलावा केन्द्रीय अनुदान/सहायता	6662.87	4.	दिये गये ऋण एवं अग्रिम	3769.63	47.25	3816.88
			4(क)	निवल अंतर्राज्यीय परिशोधन			0.02
5.	विविध पूँजीगत प्राप्तियां	21.69	5.	उच्चत और प्रेषण शेषों के समायोजन का शुद्ध प्रभाव एवं आरक्षित निधियों की वृद्धि/कमी			2328.46 @
6.	लोक ऋणों (केन्द्रीय ऋणों को छोड़कर), अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा और पेशगियों से प्राप्तियों का निवल प्रभाव	6436.29	6.	आकस्मिकता निधि से शुद्ध अंशदान			—
7.	केन्द्रीय ऋणों से प्राप्तियां	1344.54	7.	अंतिम नगद शेष			(-) 2041.07
8.	उधार ग्रहिताओं से वसूलियां	23.37					
9.	आकस्मिकता निधि से शुद्ध अंशदान	—					
10.	उच्चत और प्रेषण शेषों के समायोजन का शुद्ध प्रभाव एवं आरक्षित निधियों की वृद्धि/कमी						
	योग	48382.32		योग			48382.32

(*) इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकिकीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त ऋण राहत 363.06 करोड़ ₹ सम्मिलित है।

@ उच्चत तथा विविध (-) ₹ 2620.35 करोड़, आरक्षित निधि (+) ₹ 260.86 करोड़ तथा प्रेषण (+) ₹ 31.03 करोड़ सम्मिलित हैं।